

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:- प.17(27)गृह-5/2011

जयपुर, दिनांक 10-09-2013

परिपत्र

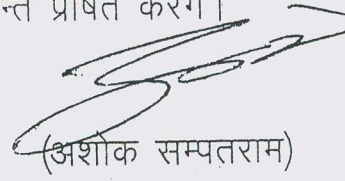
विषय:- विभिन्न प्रदर्शनों व आन्दोलनों के सम्बन्ध में
दिशा-निर्देश।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमीनल) 77/2007 Destruction of public and private properties..... versus State of A.P. and ors में निर्णय दिनांक 16.04.2009 में प्रदान किये गये निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश में विभिन्न आन्दोलनों व प्रदर्शनों के दौरान जन सम्पत्ति को हानि और आम-जन को असुविधा न हो इस हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि किसी भी प्रदर्शन के आयोजक पुलिस से बैठक कर निर्धारित रूट की समीक्षा व पुनरावलोकन करें। पुलिस शान्तिपूर्वक प्रदर्शन के लिए शर्तें निर्धारित करें।
2. यह कि प्रदर्शन के दौरान सभी प्रकार के हथियार, जिसमें चाकू लाठी या अन्य इसी प्रकार के हथियार पूर्णरूप से प्रतिबंधित हैं।
3. यह कि प्रदर्शन के आयोजकों द्वारा एक लिखित में वचनपत्र निष्पादित किया जायेगा कि ऐसे प्रदर्शन शान्तिपूर्वक होंगे एवं प्रदर्शन को नियंत्रित किये जाने हेतु जंक्शन पर आयोजक एक व्यक्ति को निश्चित करेगा।
4. यह कि पुलिस द्वारा ऐसे प्रदर्शनों की अधिकतम वीडियोग्राफी करेंगे।



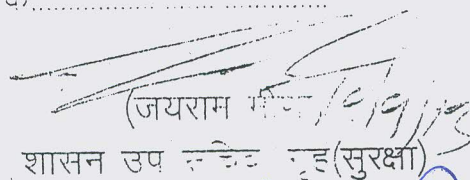
5. यह कि प्रदर्शन अगर एक जिले तक सीमित है, तो उसका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा प्रदर्शन एक जिले से अधिक जिलों में हैं, तो उसका पर्यवेक्षण महानिरीक्षक पुलिस रेंज द्वारा किया जाना व एक रेंज से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदर्शन होने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिदेशक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना।
6. यह कि किसी भी प्रदर्शन के अहिंसक होने पर पर्यवेक्षण अधिकारी वीडियोग्राफी निजी ऑपरेटर्स निश्चित करें एवं मीडिया सहित अन्य पक्षों से सूचना प्राप्त करेंगे।
7. यह कि पुलिस द्वारा घटनाक्रम का पूर्ण विवरण मय क्षति राज्य सरकार को तुरन्त प्रेषित करेंगे।


(अशोक सम्पतराम)

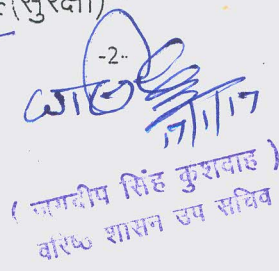
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त.....
4. महानिरीक्षक पुलिस.....
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला मजिस्ट्रेट.....
7. जिला पुलिस अधीक्षक.....


(जयराम मजिस्ट्रेट/जयपुर)
शासन उप सचिव गृह(सुरक्षा)

उपस्थित


(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव